2.2

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या– 1154/ III(2)/14–58(प्रा0आ0)/13

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून दिनांक 22 फरवरी, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनपद बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत 15 नये कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित 15 कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित विवरणानुसार प्रति कार्य रु0 0.10 लाख अर्थात कुल 15 कार्यों हेतु रु0 1.50 लाख (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न सूची में वर्णित कार्यों हेतु प्रचलित व्यवस्था एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरुप आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता के हस्ताक्षरोपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन से आगणन की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के सापेक्ष कोई अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

4– यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के सापेक्ष यदि कोई कार्य पूर्व में स्वीकृत है अथवा अन्य विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में लोक निर्माण विभाग की अनुदान संख्या–22–लेखाशीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04–जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03–राज्य सेक्टर– 02–नया निर्माण कार्य–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–826/XXVII(2)/2013 दिनांक 22 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–15 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

.................2/–

संख्या-1154 (1)/111(2)/14-58(प्रा0आ0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, मांजरा, देहरादून।
2- आयुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी देहरादून/बागेश्वर।
5- मुख्य अभियन्ता, कुमॉयू क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।
7- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
8- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

(6)

संख्या–1154 (1)/111(2)/14–58(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22 फरवरी, 2014 का संलग्नक

क0सं0	कार्य का नाम	लम्बाई मी0/किमी0 में	स्वीकृत की जाने वाली टोकन
1	2	3	4
1-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में बिलखेत–गैरांड़ मो0मार्ग का विस्तार भैरू चौपट्टा तक 05 कि0मी0 की स्वीकृति।	5.00	0.10
2-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में कपकोट–उतरौडा–पोलिग मोटर मार्ग का विस्तार 03 कि0मी0 हरसीला तक स्वीकृति।	3.00	0.10
3-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में ढालनखुनौली मोटर मार्ग का मिलान चौरा मोटर मार्ग 02 कि0मी0 स्वीकृति।	2.00	0.10
4-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में सौग–खलिधार हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने हेतु 05कि0मी0 तक स्वीकृति।	5.00	0.10
5-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में बनलेख–हौराली से पतकन्या तक अवषेष मो0मार्ग का निर्माण 05 कि0मी0 की स्वीकृति।	5.00	0.10
6-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में सातचौरा–जत्थाकोट मो0मार्ग का विस्तार दफौट तक 08 कि0मी0 की स्वीकृति।	8.00	0.10
7-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में भयू–गुलेर मो0मार्ग के पी0एम0जी0एस0आई0 के मार्ग तक 02 कि0मी0 मिलान की स्वीकृति।	2.00	0.10
8-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में काण्डा–मनतोली मोटर मार्ग का विस्तार बनकोट पिथौरागढ़ तक 08 कि0मी0 विस्तार स्वीकृति।	8.00 +1No	0.10
9-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में कन्यालीकोट–पासारी का विस्तार 05 कि0मी0 की स्वीकृति।	5.00	0.10
10-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत–लखमारा मो0मार्ग का विस्तार 05 कि0मी0 की स्वीकृति।	5.00	0.10
11-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में च्लकाना–छूरिया सेवा लीली मो0मार्ग की स्वीकृति 7 कि0मी0।	7.00	0.10
12-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में शामा–लीती–गोगिना मो0मार्ग से नामिक रामगंगा नदी तक मो0 मार्ग का विस्तार 08 कि0मी0 की स्वीकृति।	8.00	0.10
13-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में दूणी–सकुण्डा मो0मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 08 कि0मी0 की स्वीकृति।	10.00	0.10
14-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में स्याली से ईडिग्रा मनाखेत मो0मार्ग का विस्तार 06 कि0मी0 की स्वीकृति।	6.00	0.10
15-	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में काण्डा–सनिउडियार मो0 मार्ग के स्थान रावतसेरा–डोबरगाडा धारीमधिया मो0 मार्ग तक 05 कि0मी.0 की स्वीकृति का कार्य।	5.00	0.10
	योग	84.00 +1No	1.50

(रू0 एक लाख पचास हजार मात्र)

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar